रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

227] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 1972/आश्विन 19, 1894

227] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1972/ASVINA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

17 DEC 1972

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 11th October 1972*

**No. 24-ETC(PN)/72.**—It has been decided that bi-metal ore (Black Iron Ore) .h manganese content from 3 per cent upto 10 per cent will be considered as n Ore for technological and statistical reasons. As export of Iron Ore is canalised, port of this bi-metal ore (Black Iron Ore) will also continue to be canalised ough the Minerals and Metals Trading Corporation of India.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचना

### निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1972

सख्या 24—ई टी सी (पी एन)/72.—यह निश्चय किया गया है कि 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत मैंगनीज की मात्रा वाले द्वि—धातु अयस्क (श्याम लौह अयस्क) को शिल्प वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी कारणों से लौह अयस्क के रूप में समझा जाएगा। चूंकि लौह अयस्क को निर्यात सरणीबद्ध है इसलिये इस द्वि—धातु अयस्क (श्याम लोह अयस्क) के निर्यात को भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाना जारी रखा जाएगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972